संख्या–2437/चौवालिस-1-90-73/77

प्रेषक,

श्री कमल कान्त जैसवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के सचिव/विशेष सचिव।

2- राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोएडा एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 6 मार्च, 1991

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण, विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, सिम्पोजियम स्कालरशिप/फेलोसिप आदि में भाग लेने के लिए अधिकारियों का नामांकन एवं विदेश यात्रा की अनुमति।

महोदय,

शासन के संज्ञान में निरन्तर ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रायः विदेश प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही भारत सरकार को सीधे भेज दिये जाते हैं और समयाभाव का कारण दर्शाते हुए कार्योत्तर स्वीकृति हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग से अनुरोध किया जाता है। फलस्वरूप सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर परीक्षण अथवा मुख्य सचिव/विभागीय मंत्री जी के स्तर पर अनुमोदन एक औपचारिकता मात्र रह जाती है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परम्परा को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाय। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु यह आवश्यक है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन करके एक पैनल तैयार कर लिया जाय एवं उक्त पैनल में सम्मिलित अधिकारियों के सेवा अभिलेख, बायोडाटा आदि भी पूर्ण करा लिये जायं ताकि समय रहते सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकें। उक्त पैनल के अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम के अनुसार प्रशासनिक विभाग के स्तर पर उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को भेजा जा सकेगा और प्रत्येक प्रकरण में आपातकालीन स्थिति के आधार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

भवदीय,
(कमल कान्त जैसवाल)
सचिव।

संख्या–2437(1)/चौवालिस-1/90, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त अनुभाग
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ
(3) सचिव, कार्मिक विभाग

आज्ञा से,
(कमल कान्त जैसवाल)
सचिव।